अन्य पास वाला खसरा संख्या 14/27 लगभग 4 बिस्वा क्षेत्रफल अधिग्रहित नहीं किया गया था क्योंकि भूमि रिकार्ड रजिस्टर के अनुसार इस पर एक दरगाह मौजूद थी । इस भूमि पर गिराने सम्बन्धी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांग व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

2662. **श्री अनन्तराव देवशंकर दवे :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय में विकलांग व्यक्तियों को दुकानें आवंटित करने का कोई विशेष कोटा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवंटन का मापदण्ड क्या है ;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे आवंटन के लिए विकलांग व्यक्तियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किये जाने और उन्हें दुकानें आवंटित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आठ।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित पड़े सम्पत्ति सम्बन्धी मामले

2663. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के पास सम्पत्ति सम्बन्धी कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने-कितने मामले निपटाये गए ;

(ग) न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए ; और

(घ) सरकार झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को दूसरी जगह पर बसाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31-1-1992 की स्थिति के अनुसार स्लम तथा झुग्गी-झोंपड़ी विंग-II के पास सम्पत्तियों से सम्बन्धित 3832 मामले लम्बित पड़े थे ।

(ख)

	अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण	आवंटन	लीज परिसमापन
वर्ष			
1988-89	78	166	496
1989-90	114	34	332
1990-91	78	83	312

(ग) जनवरी 1992 की स्थिति के अनुसार स्लम सम्पत्तियों से सम्बन्धित 108 मामले दीवानी अदालतों में लम्बित बताए गए हैं।

(घ) बृहत्तर योजना की आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक जनहित में वर्तमान नीति, पता लगाए गए झुग्गी-झोंपड़ी परिवारों को उसी पर विचार करती है यह भूमि स्वामित्व ऐजेंसियों को अतिक्रमित भू-खण्डों पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पड़ती है और ये ऐजेन्सियां परियोजना-कार्यान्वय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को झुग्गी-झोंपड़ी समूहों को पुनः स्थापित करने के अनुरोध प्रस्तुत करते हैं।